

मध्यप्रदेश शासन

पचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. १४२५ / २२ / वि-७ / एन.आर.ई.जी. / २०१०

भोपाल, दि. २६ / ०२ / २०१०

प्रति,

१. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त
२. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त
३. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त

विषय : “समेकित व तंवहनीय संसाधन प्रबंधन” हेतु अभिसरण (Convergence) की अवधारणा पर ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान का कार्यान्वयन : परिपत्र क्र. १

१. पृष्ठभूमि :-

१.१ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत यद्यपि पिछले ३ वर्षों में जल संरक्षण व संवर्धन, स्थिराई सुविधा उपलब्ध कराने, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण आदि कार्यों का सफल संपादन हुआ है परन्तु इन कार्यों का विश्लेषण निम्न आवश्यकताएँ भी प्रतिपादित करता है :-

- १.१.१ जल संरक्षण और जल दोहन के कार्य एकाकी रूप में या तो भ्रलग थलग खेतों में अथवा शासकीय भूमि पर पृथक-पृथक कार्यान्वित किये गये हैं, जबकि पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण और जल दोहन दोनों तरह के कार्यों का समेकित और अनुपातिक कार्यान्वयन आवश्यक है।
- १.१.२ खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण के कार्यों का व्यापक पैमाने पर कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता है।
- १.१.३ वृक्षारोपण के कार्य एवं विरण के उद्देश्य के साथ साथ ग्रामीण आजीविका के वैकल्पिक स्रोत के सुरक्षा हेतु भी कार्यान्वित किये जाना आवश्यक है, जिसके लिये वृक्षारोपण स्थल विनियोग का सामर्थ्य, गुणवत्तापूर्ण पौधे की व्यवस्था,

रापित पौधों की सिंचाई/सुरक्षा/रख रखाव की व्यवस्था, उत्पादों का विपणन, प्राप्त लाभों का वितरण इत्यादि महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान से ध्यान देना होगा।

1.1.4 मिट्टी और पानी की समुचित उपलब्धता के बाद खेती को लाभप्रद बनाने के लिए विभिन्न आदानों की व्यवस्था हेतु और संसाधनहीन ग्रामीणों के लिए ग्रामीण आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संपादित हो रहे कार्यों का ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों की ग्राम विकास योजनाओं से तालमेल विठाकर कार्यान्वयन आवश्यक है, ताकि लाभान्वित परिवार वास्तविक रूप से हमेशा के लिए गरीबी रेखा के ऊपर उठ सके।

2. भविष्य की आवश्यकता – समेकित व संवर्धनीय संसाधन प्रबंधन :-

2.1 उक्त 1.1.1 से 1.1.4 में वर्णित आवश्यकताओं को मूर्तलप देने के लिए सतही जल संरक्षण/संचय, भूजल संवर्धन, मृदा संरक्षण, वानस्पतिक विकास और इन संसाधनों के प्रबंधन व समुचित उपयोग के कार्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन की अवधारणा पर एक ग्राम में एक या एक से अधिक मुख्य ड्रेनेज लाईनों के आधार पर चिह्नित बाटरशेड अथवा इसके अंदर सहयोगी ड्रेनेज लाईनों के आधार पर चिह्नित छोटे-छोटे माइक्रो बाटरशेडों में समानुपात में कार्यान्वितकरना होगे। कृषकों और ग्रामीण भजदूरों के लिए ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों की विभिन्न योजनाओं के प्रावधानित कार्यों का समेकित कार्यान्वयन भी इन कार्यों के साथ साथ अभिसरित कर करना होगा। इस अवधारणा पर कार्य करने से मूलतः निम्न लाभ प्राप्त होंगे:-

- 2.1.1 ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर श्रमजन्य रोजगार उपलब्ध हो सकेगा;
- 2.1.2 कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के लिये पर्याप्त पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और मृदा संरक्षण भी हो सकेगा। इससे विशेषकर लघु एवं रीमांत कृषक, जो पर्याप्त आपारित खेती पर सर्वोधिक निर्भर हैं, लाभान्वित होंगे;
- 2.1.3 घटनी की उपलब्धता के साथ साथ भूमि विकास के कार्यों और आदानों की समुचित व्यवस्था से कृषि भूमि तथा ग्राम की गैर-कृषि भूमि से बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित की जा सकेगी;
- 2.1.4 ऐसे कृषक जो लघु एवं रीमांत ग्रेणी में नहीं आते हैं, को भी उनके खेतों के कार्यों और समेकित संसाधन प्रबंधन व उपचार कार्यों का लाभ मिलेगा। वे आहें

(3)

तो अपने खेतों को भी स्वयं के संसाधनों से उपचारित कर उनकी उत्पादक सुगमता में वृद्धि कर सकते हैं।

- 2.1.5 कृषि विकास एवं विस्तार की योजनाओं जिनमें बेहतर योज उपयोग, समन्वित पोषण प्रबंधन एवं इंटीग्रेटेड प्रैस्ट मैनेजमेंट की तकनीकों का प्रभावी कार्यान्वयन, अन्य क्षेत्रक योजनाओं जैसे पशुपालन, नस्त्य पालन। इन उद्यानिकी के प्रभावी कार्यान्वयन से योगदान दिया जा सकेगा, को लागू किया जा सकेगा।
- 2.1.6 आजीविका विकास के कृषि आधारित एवं गैर कृषि क्षेत्रक कार्यों के लिए साधन उपलब्ध हो सकेंगे और आजीविका के लिए वर्कलिपिक स्त्रोतों का सृजन भी हो सकेंगे।
- * 2.1.7 भू-मण्डलीय रूपर घर जलवायु परिवर्तन के समावित विपरीत परिणामों का भी स्थानीय रूप से निपटने के कारण उपाय भी किये जा सकते हैं। विशेषकर वृक्षारोपण के द्वारा वायुमण्डल में कार्बन के रसर में कमी करने और ग्राम 'नगीय संगठन' का कार्बन क्रॉफिट डेलार्गम ला. एम्प्राइज इन्डा की रूपरकी है।
- 2.1.8 नस्त्यना का प्रबंधन हेतु समोकेत काठां थारना दमाकर बेट्टने लूट प्रकार्यान्वितकरने से प्रशासनिक दृष्टि से अनुशवेण एवं पर्यवेक्षण में भी सुगमता होगी।
3. समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन हेतु ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लान :-
- 3.1 उद्यत परिप्रेक्ष में ग्राम रसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी योजना और अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण द्वारा 'समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन' हेतु माइक्रो प्लान विकसित कर कार्यान्वितकिया जाता है। इस माइक्रो प्लान के प्रमुख अवयव निम्नानुसार होंगे -
- 3.1.1 शासकीय/सामुदायिक भूमि पर भूमि विकास, मुद्रा संरक्षण, सतही जल संरक्षण व संचय, भूजल संवर्धन के कार्य जैसे कंटूर ट्रेच, गली प्लग, मैवियन संरचना, तालाब, परकोलेशन तालाब, रिचार्ज शाखट इत्यादि;
- 3.1.2 ऐसे नदी नाले जिनमें अकट्टबर माह तक पानी का प्रवाह रहता है, उनमें उचित रथान पर जल संचय हेतु नाला बंधान/चैक डेम/स्टाप डेम का निर्माण;
- 3.1.3 ऐसे नदी नाले जिनमें फरवरी तक पानी का प्रवाह रहता है, उनमें शृखलाबद्ध नाला बंधान/चैक डेम/स्टाप डेम का निर्माण;

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रावधानों के अनुसर पात्र हितग्राहियों द्वारा धारित भूमि पर—

- 3.1.4.1 भूमि विकास के कार्य, जिसमें मृदा संरक्षण के कार्य भी शामिल होंगे जैसे फील्ड बैडिंग, वानस्पतिक अवशेष इत्यादि;
- 3.1.4.2 सतही जल संरक्षण व संचय के कार्य जैसे खेत तालाब, नाला बढ़ान इत्यादि;
- 3.1.4.3 भूजल संवर्धन के कार्य जैसे कुआं रिचार्ज, सोक पिट, कुइया कुण्डी, रिचार्ज शाफ्ट इत्यादि;
- 3.1.4.4 सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य जैसे कुआं निर्माण, खेत तालाब इत्यादि;
- 3.1.4.5 उद्यानिकी वृक्षारोपण;
- 3.1.4.6 अन्य कृषकों द्वारा धारित भूमि पर भूमि विकास, सतही जल संरक्षण व संचय, भूजल संवर्धन और वृक्षारोपण के कार्य;
- 3.1.4.7 शासकीय एवं सामुदायिक जलाशयों के सुधार व जीर्णोद्धार के कार्य
- 3.1.4.8 सिंचाई की अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं का विकास एवं सुधार जैसे नहरों का निर्माण, नहरों का सुधार;
- 3.1.4.9 शासकीय / सामुदायिक भूमि पर स्वसहायता समूहों द्वारा वृक्षारोपण तथा रख रखाव और इनकी सिंचाई हेतु स्त्रोत का विकास;
- 3.1.4.10 शासकीय / सामुदायिक भूमि पर घांस उत्पादन;
- 3.1.4.11 कृषकों हेतु बीज उत्पादन, बीज उपचार, जैविक पद्धतियों से उर्वरक एवं पेस्टीसाइड का उत्पादन, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, मृदा परीक्षण, मृदा की किस्म तथा गुणवत्ता एवं उपलब्ध मृदा नमी और सिंचाई सुविधा के आधार पर फसल चक्र पुनर्निर्धारण, टपक सिंचाई का विस्तार एवं कृषि विस्तार के कार्य। इस हेतु कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि महाविद्यालयों से तकनीकी सहयोग लेना;
- 3.1.4.12 आजीविका विकास के कार्यों के लिए विविध साधन उपलब्ध कराना जैसे कृयें से पानी उद्वहन के लिए पंप इत्यादि और आजीविका के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों का सुजन करना, जैसे जल संग्रहण संरचनाओं में मत्त्य पालन इत्यादि;


(5)

‘समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन’ हेतु ग्रामों का चयन :-

‘समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन’ हेतु माइक्रो प्लान विकसित कर कार्यान्वयन के लिये कलेक्टर प्रत्येक विकासखण्ड में ऐसे राजस्व ग्रामों/ग्राम समूहों का चयन करेंगे, जिनमें पूर्व में जलप्रहण क्षेत्र प्रबंधन का कार्य नहीं हुआ है। ग्रामों के प्रत्येक समूह में 15–20 ग्राम शामिल किए जाकर समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन हेतु 4000–5000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जा सकता है। ग्रामों का चयन निम्न मानदण्डों को प्राथमिकता देते हुए किया जायेगा।—

- 4.1.1 ऐसे गांव जिनमें 90% कृषि क्षेत्र वर्षा आधारित हैं व सिंचाई के कोई स्रोत नहीं हैं;
 - 4.1.2 ऐसे गांव जो भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल विकासखण्डों में आते हैं;
 - 4.1.3 ऐसे गांव जो भूजल दोहन के संदर्भ में अतिवाहित एवं क्रिटीकल विकासखण्डों में आते हैं;
 - 4.1.4 ऐसे गांव जिनमें गर्मी के भौमम में जल आपूर्ति परिवहन द्वारा की गई है,
 - 4.1.5 ऐसे गांव जहां लघु एवं सीमात कृषकों की संख्या कुल कृषकों की संख्या के 50% से ज्यादा है;
 - 4.1.6 डी.पी.आई.पी. व एम.पी.आर.एल.पी. के ग्राम
 - 4.1.7 ऐसे गांव जो विषत 05 वर्षों में वाटरशॉड परियोजनाओं के सहत उपचारित / स्वीकृत नहीं हैं,
- 4.2 ‘समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन’ हेतु प्रत्येक वर्ष चयनित ग्रामों का विवरण संलग्न अनुलग्नक-1 में संदर्भित करा जाये एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मप्र, राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को प्रेषित किया जाये।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



(आम्रपालशासन)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

“समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन” हेतु घयनित गामों का विवरण

(6)

क्र.	निकासखण्ड	घयनित घयन का ग्राम	ग्राम का सैसास कोड नंबर	घयनित ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टायर)	ग्राम पंचायत का नाम
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. / ६२५ / २२ / वि-७ / एन.आर.ई.जी. / २०

भोपाल, दि. २६ / ०२ / २०१०

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – समस्त
3. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – रागरत

विषय : “समैक्य व संवहनीय संसाधन प्रबंधन” हेतु अभिसरण (Convergence) की अवधारणा पर
ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान का कार्यान्वयन : परिपत्र क्र.२

सदर्भ: विभाग का ज्ञापन क्र. १८२५ / २२ / वि-७ / एन.आर.ई.जी. / २०१०, भोपाल,
दि. २६ / ०२ / २०१०

1. पृष्ठभूमि :-

- 1.1 सदर्भ में उल्लेखित परिपत्र में समैक्य व संवहनीय संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता तथा
इस हेतु ग्रामों के घटन का उल्लेख किया गया था। इसी तारतम्य में यह अगला परिपत्र
माइक्रो प्लान तैयार करने की प्रक्रिया, रवीकृति, कार्यान्वयन, संस्थागत व्यवस्था तथा
अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जारी किया जा रहा है।
 2. माइक्रो प्लान विकसित करने तथा क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्था :-
- 2.1 “समैक्य व संवहनीय संसाधन प्रबंधन” हेतु माइक्रो प्लान ले विकसित करने तथा
क्रियान्वयन के लिये संस्थागत व्यवस्था हेतु प्रत्येक विकासखण्ड हेतु १ – १ परियोजना

क्रियान्वयन दल कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिसके लिए निम्नानुसार दो विकल्प अपनाये जा सकते हैं :-

2.1.1 अंतविभागीय परियोजना क्रियान्वयन दल :

2.1.1.1 विषय विशेषज्ञता वाले शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक टीम में शामिल कर अंतविभागीय परियोजना क्रियान्वयन दल गठित किया जा सकता है।

2.1.1.2 ज़िला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम, ग्रामीण आजीविका परियोजना, डी.पी.आई.पी. के लिए संविदा पर विषय विषय विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं। संविदा पर पदस्थ इन विषय विशेषज्ञों तथा ज़िला स्तर पर अन्य विभागों नामतः जल संसाधन, कृषि विभाग, वन विभाग के अधिकारियों में से उपयुक्त अधिकारियों का चयन कर शासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन इस प्रकार करना। साथ ही जलग्रहण दल में ऊम से ऊम भूजल / कृषि अभियांत्रिकी विशेषज्ञ, 1 कृषि विज्ञान विशेषज्ञ, 1 सिविल अभियांत्रिकी विशेषज्ञ व 1 सामुदायिक संगठन विशेषज्ञ तथा संबंधित गांवों के पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित विकास खण्ड हेतु गठित किये गये परियोजना क्रियान्वयन दल के कार्यक्रम अधिकारी होंगे व इस दल को नेतृत्व प्रदान करेंगे। यह परियोजना क्रियान्वयन दल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जनपद पंचायत की कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

2.1.2 स्वयंसेवी संगठन :

2.1.2.1 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वित्त पोषित जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों को पार्टनर एन.जी.ओ. के रूप में घोषित किया गया है। इन घोषित स्वयंसेवी संगठनों को भी परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठन को परियोजना क्रियान्वयन दल को नियुक्त करने पर भूजल / कृषि अभियांत्रिकी / कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान विशेषज्ञ, सिविल अभियांत्रिकी विशेषज्ञ व सामुदायिक संगठन विशेषज्ञ की 1-1 टीम प्रत्येक 15-20 ग्राम समूहों के लिये

उपलब्ध करानी होगी। स्वयंसेवी संगठन को परियोजना क्रियान्वयन दल नियुक्त किए जाने पर यह संगठन कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

- 2.1.2.2 अन्य स्वयंसेवी संगठनों के चयन की कार्रवाई प्रचलन में है, जिसमें समय लगने के कारण अद्यतन चयनित एक स्वयंसेवी संगठन को 2 या 3 जिलों में भी नियुक्त कर/एक ही जिले में एक से अधिक विकासखाण्डों में नियुक्त कर दायित्व सौंपा जा सकता है जिससे उसे सौंपे जाने वाले कार्य का स्वरूप अत्याधिक लघु न हो जाये एवं उसकी प्रबंधन एवं वित्तीय कार्य क्षमता (viability) बनी रहे।
- 2.1.2.3 स्वयंसेवी संगठन को दायित्व सौंपे जाने पर प्रशासकीय एवं संस्थागत व्यय के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए मानदण्ड निर्धारित कर प्रशासनिक मद में से वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। इसकी अधिकतम सीमा माझको प्लान की कार्य लागत का कुल 5 प्रतिशत होगी।
- 2.2 गठित एवं नियुक्त परियोजना क्रियान्वयन दल का विवरण अनुलग्नक-1 में संधारित किया जायेगा। परियोजना क्रियान्वयन दलों को जाँचें तथा कार्य का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण तथा आवश्यक समन्वय व नियोजन जिला पंचायत में रोजगार गारंटी योजना हेतु नियुक्त जिला परियोजना समन्वयक/परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
3. समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन हेतु ग्राम स्तरीय माझको प्लान विकसित करना :-
चयनित ग्रामों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण से 'समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन' हेतु माझको प्लान के विकास के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जा सकती है :-
- 3.1 ग्रारभिक संसाधन सर्वेक्षण :
- सर्वप्रथम चयनित ग्राम के प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण और संसाधन सर्वेक्षण (Resource Appraisal) के द्वारा मिटटी, पानी, वनस्पति, कृषि आदि संसाधनों के संबंध में मूलभूत जानकारी एकत्रित की जायेगी, जिसमें प्रमुख निम्नानुसार होंगी :-
- 3.1.1 विभिन्न क्षेणी के कृषकों का विवरण;
 - 3.1.2 भूमि उपयोग का विवरण;
 - 3.1.3 विभिन्न प्रयोजनों हेतु पानी की पृष्ठि हेतु सतही जल एवं भूजल स्रोत;

- 3.1.4 वर्तमान में भौजूद जल संरक्षण/संचय और भूजल संवर्धन संरचनाओं की स्थिति तथा उपयोग का विवरण;
- 3.1.5 मिट्टी का प्रकार व स्थिति;
- 3.1.6 कृषि फसलों व इनके उत्पादन का विवरण;
- 3.1.7 मिट्टी/पानी/ बानस्पतिक आवरण/कृषि आदि संसाधनों की विमली हुई स्थिति अथवा कभी से जुड़ी हुई समस्याओं का विवरण;
- 3.1.8 गांव में आजीविका के अन्य स्रोत।
- 3.2 प्रारंभिक संसाधन संरक्षण से प्राप्त हो सकने वाले निष्कर्ष :
प्रारंभिक संसाधन संरक्षण से प्राप्त मूलभूत ज्ञानकारी का विश्लेषण किया जायेगा, जो मोटे तौर पर निम्न निष्कर्षों तक पहुंचने में सहायक होगा :-
- 3.2.1 गांव में वर्तमान में विभिन्न प्रयोजनों हेतु पानी की वास्तविक आवश्यकता कितनी है? उपलब्ध स्रोतों से पानी की कितनी पूर्ति हो पा रही है? कितनी कमी है? क्या कमी के कारण है?
- 3.2.2 पानी की कमी दूर करने के लिए गांव में मिट्टी में नमी संरक्षण, सतही जल संरक्षण व संचय तथा भूजल संवर्धन की क्या समावनायें हैं? संबंधित कार्यों के लिए क्षेत्रों के गुणधर्म उपयुक्त हैं अथवा नहीं? ऐसे कौन से कार्य, कहाँ कहाँ, व्यक्तिमूलक अथवा सामूहिक रूप से क्रियान्वित कराये जा सकते हैं?
- 3.2.3 गांव में क्या भूजल उपयोग हेतु बनाई जाने वाली संरचनायें जैसे कुआं ड्रेसर्सि का खनन सफल होगा अथवा अन्य किसी विकल्प पर विचार करना होगा।
- 3.2.4 गांव की टौपोग्राफी तथा खेतों की टौपोग्राफी Undulating होने के कारण अथवा बानस्पतिक अवरोध के अभाव के कारण मिट्टी का कटाव कितना प्रभावशील है? क्या मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण आवश्यक है?
- 3.2.5 गांव में शासकीय/समुदायिक/निजी भूमि पर वृक्षारोपण तथा घास विकास की दिया सम्भालनाये हैं?
- 3.2.6 मिट्टी, पानी, बनस्पति के संरक्षण और संवर्धन के साथ अन्य क्या उपयोग हैं अथवा कृषि किस्ताव कार्य हैं, जो कृषि उत्पादन में बढ़ावदारी हेतु किया जाना आवश्यक है?
- 3.2.7 आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों के सूजन के लिए कौन से कार्य लिये जा सकते हैं?

3.3 विस्तृत नेट प्लानिंग :

- 3.3.1 मूलभूत जानकारी के विश्लेषण के पश्चात विस्तृत नेटप्लानिंग के माध्यम से गांव के संपूर्ण माइक्रोवाटरशेड से प्रत्येक खासरे में मिट्टी/पानी/वानस्पतिक आवरण/कृषि रसायनों की वर्तमान स्थिति और समस्याओं का महन विश्लेषण किया जाएगा। इस विश्लेषण के आधार पर और रखान विशेष की टोपोग्राफी, भूमि की क्षमता, मिट्टी की सरचना व गुणधर्म भू-आकृति, कैबिनेट, रनओफ की मात्रा इत्यादि फारकों का ध्यान में रखते हुए मिट्टों के कटाव को रोकन, सतही जल ऊरक्षण/संचय, भूजल संवर्धन, वानस्पतिक आवरण में बढ़ि, भूजल के उपयोग हेतु प्रस्तावित सरचनाओं तथा कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी व कृषि विस्तार के कार्यों का चयन/निर्धारण समक्षित व सवहनीय रसायन प्रबंधन के विषयात् किया जाएगा। गांव ही साथ आर्जीदिका के वैकल्पिक रसायनों के सृजन हेतु भा प्रस्तावित कार्यों का चयन किया जाएगा। नेटप्लानिंग के माध्यम से समस्याओं का विश्लेषण और कार्यों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि सभी बी.पी.एल. और लघु तथा सीमात् कृषकों से व्यक्तिगत चर्चा तथा इनके खेत का सर्वेक्षण अनिवार्यतः हो।
- 3.3.2 चयनित कार्यों के साथ-साथ लाभ लेने वाले हितग्राहियों का भी स्थान चिन्हांकन किया जाएगा।
- 3.3.3 कार्यों का चयन व हितग्राहियों का चिन्हांकन होने पर यह भी निर्धारित कर लिया जाएगा कि चयनित कार्य व्यक्तिमूलक अथवा सामूहिक स्वरूप का होगा। सामान्यतः निजी भूमि पर लिये जाने वाले कार्य व्यक्तिमूलक होंगे। शासकीय/सामुदायिक भूमि पर लिये जाने वाले कार्य तथा इनेज लाईन ट्रीटमेंट के कार्य सामूहिक स्वरूप के होंगे। सामूहिक हित की गतिविधियों के लिए लाभ लेने वाले हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल बनाये जायेंगे।
- 3.3.4 लघु कृषकों की भूमि धारकता (Land holding) छोटी होने पर इनके समूह बनाकर ही निजी भूमि पर भूमि विकास के कार्य, सामूहिक स्वरूप के जल संरक्षण/संचय कार्य तथा वृक्षारोपण कार्य लिये जायेंगे।

- 3.3.5 व्यक्तिमूलक कार्यों का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता हेतु निर्धारित प्रावधानों/मानदण्डों का ध्यान रखा जायेगा तथा चयनित कार्य हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र भी लिये जायेंगे। ऐसे हितग्राही कृषक जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से लाभ नहीं ले सकते, उनके लिए कृषि विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग की योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिमूलक कार्यों का चयन करना होगा।
- 3.4 चयनित कार्यों का प्राक्कलन, वित्तीय स्रोत/योजना/मद का निर्धारण व माइक्रो प्लान बनाना :-
- 3.4.1 कार्यों का चयन/निर्धारण हो जाने पर प्रस्तावित डिजाईन/ड्राइंग का निर्धारण और प्रचलित सी.एस.आर के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।
- 3.4.2 कार्यों के चयन, डिजाईन/ड्राइंग के निर्धारण तथा प्राक्कलन तैयार होने के पश्चात इन्हे ग्राम में मुख्य ड्रेनेज लाईन के आधार पर चिन्हित माइक्रोवाटरशेड हेतु एकजाइ कर अथवा इसके अंदर सुहयोगी ड्रेनेज लाईनों के आधार पर चिन्हित छोटे-छोटे माइक्रो वाटरशेडों हेतु पृथक पृथक "समेकित व संबहनीय संसाधन प्रबंधन" का माइक्रोप्लान 3 वर्ष की अवधि में क्रियान्वयन हेतु तैयार किया जायेगा। इस माइक्रोप्लान में निम्न विवरण समाहित होगा :-
- 3.4.2.1 चयनित कार्यों के नाम, इनका स्वरूप (व्यक्तिमूलक अथवा सामूहिक), संवधित हितग्राही कृषक अथवा संबंधित उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम, प्रस्तावित निर्माण रथल, डिजाईन/ड्राइंग, प्राक्कलन, प्रस्तावित कार्यों को दर्शाने वाला 1:4000 के स्केल पर तैयार किया गया एक नक्शा,
- 3.4.2.2 चयनित कार्यों की क्रियान्वयन के क्रम अनुसार 3 वर्ष की अवधि के लिए वर्षावार सूची। मिट्टी के संरक्षण, जल संरक्षण/संचय तथा भूजल संवर्धन के कार्यों के क्रियान्वयन का क्रम वाटरशेड के रिज-टू-वेली उपचार के सिद्धांत के आधार पर तय किया जायेगा। भूजल उपयोग हेतु

कृआ निर्माण के कार्य सामान्यतः दूसरे वर्ष में प्रस्तावित किये जायें, ताकि इनके निर्माण के दूर्घ भूजल संवर्धन के कार्य पूर्ण हो सकें। वृक्षारोपण के कार्य सुरक्षा तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की अनुमानित समय का आकलन कर 3 वर्षीय आयोजना में यथोचित वर्ष में सम्मिलित किये जायेंगे। कृषि विस्तार के कार्य सामान्यतः द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में प्रस्तावित किये जायेंगे।

3.4.2.3 कार्यों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन के नियोजन हेतु विभिन्न योजनाओं से अभिसरण (Convergence) का स्पष्ट उल्लेख;

3.4.2.4 सामूहिक हित के कार्यों के संदर्भ में जनित होने वाली संरचनाओं व परिस्थितियों की सुरक्षा, रख रखाव तथा लभों के वितरण की प्रस्तावित प्रक्रिया (विशेषकर सामूहिक जल संरक्षण और शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण हेतु);

3.4.2.5 प्रशिक्षण व क्षमता विकास का प्रस्ताव व तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव

3.5 माइक्रो प्लान बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें :-

“समंकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन” हेतु ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लान को विकसित करते समय निम्न बातों को दृष्टिगत रखना होगा :-

3.5.1 जल संरक्षण/संचय, भूजल संवर्धन, भूजल उपयोग, बानस्पतिक आवरण में वृद्धि, भूमि विकास, कृषि विकास एवं विस्तार के सभी आवश्यक कार्य पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में शामिल किया जाये;

3.5.2 अधिक से अधिक बी.पी.एल. हितग्राहियों तथा लघु, एवं स्त्रीमति कृषकों को यथासंभव लाभ उपलब्ध कराया जा सके;

3.5.3 भूमिहीन मजदूरों के लिए टिकाऊ आजीविका के कार्य शामिल किये जा सके;

3.5.4 चयनित कार्यों के संदर्भ में यह स्पष्ट निर्धारण होना चाहिये कि कौन सा कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यारंटी योजना से होगा तथा कौन से कार्य के लिए अन्य योजनाओं से अभिसरण करना होगा

3.6 माइक्रो प्लान तैयार करने हेतु राशि :

माइक्रो प्लान तैयार करने के लिए प्रारंभिक संसाधन सर्वेक्षण, नेटप्लानिंग, विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण, प्रावक्कलन तैयार करने इत्यादि हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी, जिसके लिए रूपए 60 हजार प्रति 500 हेक्टेयर के मान से राशि प्रदाय की जा सकेगी। यह राशि प्रशासनिक मद में समायोजित की जाएगी।

4. माइक्रो प्लान के कार्यों की स्वीकृति :

4.1 माइक्रो प्लान की एकजाई प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रदाय की जायेगी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संपादित होने वाले कार्यों की तकनीकी स्वीकृति कार्यवार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जायेगी। माइक्रो प्लान में अन्य योजनाओं के अधिसरण से संपादित होने वाले कार्यों के संबंध में क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, उसका विश्लेषण कर प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

4.2 निजी भूमि पर चयनित कार्य का स्वरूप निजी होने पर स्वीकृति के पूर्व निर्माण रथल का चयन, अनुशंसा, हितग्राही से आवेदन-लेना इत्यादि कार्यों का संपादन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रतिलिपि निर्देशों वे प्रावधानों के अनुसार यथावत रहेगा।

4.3 निजी भूमि पर चयनित कार्य का स्वरूप सामूहिक होने पर स्वीकृति के पूर्व कार्य के निर्माण स्थल की अनुशंसा और प्राप्त होने वाले लाभों के वितरण की सहमति संबंधित हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल से लिखित में प्राप्त की जायेगी। यह सहमति प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर इन कार्यों को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अथवा अन्य योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप इन कार्यों को प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदाय की जायेगी।

5. माइक्रोप्लान का क्रियान्वयन एवं इसका दायित्व तथा वित्त प्रवाह :

5.1 अंतर्विभागीय परियोजना क्रियान्वयन दल हेतु -

अंतर्विभागीय परियोजना क्रियान्वयन दल नियुक्त होने पर माइक्रो प्लान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सामिल कार्यों के कार्यान्वयन का दायित्व इस दल का होगा, जिसके लिये वांछित निधियां कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को जारी की जायेंगी। कार्यक्रम अधिकारी यदि नियोजन के उद्देश्य से चाहे तो

(15)

इन में से कुछ कार्यों के लिये धन राशि ग्राम पंचायत को जारी कर उन के द्वारा कार्यान्वयन करा सकते हैं। ऐसे कार्यों के लिये परियोजना क्रियान्वयन दल ग्राम पंचायत को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करेंगे, उसकी क्षमता का विकास करेंगे और कार्यों का अनुश्रवण भी करेंगे।

5.2 स्वयं सेवी संगठन के परियोजना क्रियान्वयन दल हेतु -

स्वयंसेवी संगठन को परियोजना क्रियान्वयन दल नियुक्त करने पर माइक्रो प्लान में समिलित कार्यों नामतः कुआ निर्माण, सड़क निर्माण तथा सामुदायिक तालाब निर्माण के लिए धनराशि का आवंटन पूर्वक ग्राम पंचायत को किया जाएगा। ऐसे कार्यों के लिये परियोजना क्रियान्वयन दल ग्राम पंचायत को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करेंगे, उसकी क्षमता का विकास करेंगे और कार्यों का अनुश्रवण भी करेंगे। माइक्रो प्लान के शेष कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से सम्पादित होंगे उनके कार्यान्वयन के लिए वांछित निधियाँ स्वयंसेवी संगठन द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को जारी की जाएंगी, जिसके संधारण, आहरण व उपयोग हेतु यह प्राधिकारी बैंक में एक पृथक परियोजना खाता खोलेगा। परियोजना कार्यान्वयन दल के रूप में नियुक्त स्वयंसेवी संगठन (प्रत्येक 15–20 ग्राम समूहों हेतु) को कार्य सीधे जाने पर इस संगठन को रु. 01 लाख की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यह बैंक गारंटी माइक्रोप्लान का कार्य पूर्ण होने पर संगठन को वापस की जा सकेगी।

5.3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष में आकलित किए गए कार्यों की कुल लागत की राशि प्रत्येक वर्ष में 02 समान किश्तों में परियोजना कार्यान्वयन दल को प्रदान की जाएगी। द्वितीय किश्त की राशि प्रथम किश्त की राशि के 60 प्रतिशत उपयोग होने के पश्चात् तथा तदाशय का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद जारी की जाएगी।

5.4 अन्य योजनाओं की निधियों से माइक्रो प्लान में शामिल अन्य कार्यों हेतु संबंधित विभागों/योजनाओं से कार्यक्रम अधिकारी तथा परियोजना कार्यान्वयन दल आवश्यक समन्वय कर कार्यान्वयन करायेंगे।

6. परियोजना क्रियान्वयन दल का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास :-


6.1 'समेकित व संवहनीय संसाधन प्रबंधन' के लिए माइक्रो प्लान की अवधारणा और उसके दृष्टिबोध की सही समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस

प्रशिक्षण में भूजल संवर्धन के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही कृषि तथा अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी प्रशिक्षण देने हेतु बुलाये जायेंगे।

7. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण :-

- 7.1 परियोजना क्रियान्वयन दलों को सौंपे गये कार्य का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण तथा आवश्यक समन्वय व नियोजन जिला पंचायत में जलयहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अथवा रोजगार गारंटी योजना हेतु नियुक्त जिला परियोजना समन्वयक / परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 7.2 'परियोजना क्रियान्वयन दल का दायित्व यह होगा कि वे "समेकित व संबहनीय संसाधन प्रबंधन" के माइक्रो प्लान के कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण करायें और सपादित कार्य तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो।
- 7.3 "समेकित व संबहनीय संसाधन प्रबंधन" के माइक्रो प्लान के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्याकान, कार्य की साप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व अन्य शासकीय योजनाओं के प्रचलित प्रावधान यथावत लागू होंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।



(आर. परशुराम)

प्रमुख सदिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश भोपाल

